186

बिहार सरकार,
<u>लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग।</u>

पत्र संख्या- 6/नि॰1-103/04 1140 /पटना, दिनांक- 09 वीं0, नवम्बर, 2006

प्रेषक,

श्री शशि शेखर शर्मा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

<u>मुख्य अभियन्ता (रूपांकन),</u>
<u>मुख्य अभियन्ता (नागरिक),</u>
<u>मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक),</u>
<u>सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,</u>
सभी अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक सहित),
लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग।

विषयः- योजनाओं के प्राक्कलन का निरूपण एवं उनकी तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

विभिन्न अंचलों एवं प्रक्षेत्रों से प्राप्त ग्रामीण/शहरी जलापूर्त्ति योजनाओं के प्राक्कलन के मदों के दर में एकरूपता का अभाव पाया जा रहा है। कार्यपालक अभियन्ता के स्तर से लेकर मुख्य अभियन्ता स्तर तक इन प्राक्कलनों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जाती है। परन्तु फिर भी एक ही मदों के दर के आकलन में असमानता पायी जा रही है। कई प्राक्कलनों में प्रयुक्त होनेवाली सामग्रियों के सम्बन्ध में भी अस्पष्ट सूचनायें अंकित पायी गई है। यह अत्यन्त ही चिंता एवं खेद का विषय है।

2- मुख्यालय स्तर पर निविदा निष्पादन के क्रम में उपर्युक्त तथ्य स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुए जिसके चलते विभाग की कई महत्त्वाकांक्षी योजनाओं के कार्यान्वियन में अनावश्यक विलम्ब हुआ। सम्भव हो अंचल एवं प्रक्षेत्र स्तर पर हो रही निविदाओं में भी इस प्रकार की असमानता रहती हो, जिसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राक्कलन बनाने और तकनीकी स्वीकृति देने के समय सम्बंधित अभियन्ताओं के द्वारा अपेक्षित ध्यान देते हुए सर्तकतता नहीं बरती जा रही है।

3- अतः निदेशित किया जाता है कि मुख्यालय एवं क्षेत्र स्तर पर सभी प्राप्त/स्वीकृत योजनाओं की निविदा के पूर्व उनके दरों की नियमानुसार स क् जाँचकर ली जाये। तदुपरान्त ही सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाय ौर निविदा की कार्रवाई की जाये। सक्षम पदाधिकारी उनके उचित होने का प्रमाण- भी तकनीकी स्वीकृति के समय देंगे।

4- भविष्य में प्राक्कलन के उपस्थापन/स्वीकृति से पूर्व दरों व जाँच पूर्ण रूप से की जाय और उसका उचित प्रावधान किया जाय ताकि विभाग द्वारा ीकृत योजनाओं में समरूपता रहे।

ह०/- विश्वासभाजन,
09.11.

स ार के सचिव।

ज्ञापांक- 1150 दिनांक- 09.11.08.

प्रतिलिपि- अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्व थ्य अभियन्त्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 09.11.

स ार के सचिव।